Crime on Sher Shah Suri Marg

874. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the recent growth of crime on Sher Shah Suri Marg, where the number of cases of hijacking of buses, shooting of passengers, hijacking of trucks has shown a marked increase;

(b) whether Government propose to constitute a task force and seek cooperation of State Governments to make driving on this road safe; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) The registration, investigation detection and prevention of crime including crme on the National Highways is the responsibility of the State Governments/Union Territory Administrations. The central agencies do not compile figures of crime on Sher Shah Suri Marg separately.

(b) and (c) No such proposal is under consideration.

सवाई माधोपुर में एस०टी०डी० सुविधा

875. डा० अबरार अहमद खान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई माधोपुर को एस० टी०डी० सेवा से जोड़ दिया गया है, यदि हां, तो कब और क्या दिल्ली और सवाई माधोपुर के बीच एस०टी० डी० सेवा उपलब्ध है, यदि हां, तो क्या वह दिल्ली और सवाई माधोपुर के बीच एस०टी०डी० सेवा की स्वयं जांच करेंगे अथवा क्या यह सेवा केवल कागजों पर ही उपलब्ध है ;

(ख) राजस्थान के कितने जिला मुख्यालयों अथवा मुख्य शहरों को एस० टी०डी० सेवा से जोड़े जाने की संभावना है और ये कब तक जोड़े दिये जायेंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों को एस०टी० डी० सेवा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था यदि हां, तो वे कौन-कौन से व्यक्ति हैं जो इस लक्ष्य को हासिल न करने देने के लिये जिम्मेदार हैं और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयपाल सिंह) : (क) जी, हां । सवाई माधोपुर को 31 मार्च, 90 को एक्सेस कोड 07462 के साथ एस०टी०डी० सेवा से जोड़ दिया गया है । इस बात की जांच की गई है कि यह सेवा वास्तव में दिल्ली और सवाई माधोपुर के बीच भी उपलब्ध है।

(ख) राजस्थान के सभी 27 जिला मुख्यालयों और एक मुख्य नगर को 31-3-90 की स्थिति के अनुसार एस०टी०डी० सेवा प्रदान की जा चुकी थी ।

(ग) सभी जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी के साथ एस०टी०डी० के साथ जोड़ना सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि का एक लक्ष्य था । यह कार्य मार्च, 90 तक निम्नलिखित कारणों से लगभग 70 जिला मुख्यालयों के मामले में पूरा नहीं किया जा सका ।

(i) इनसेट-1डी उपग्रह छोड़ने में विलंब ।

(ii) संचारण प्रणालियों के टर्मिनलों और रिपीटरों को स्थापित करने के लिये जंगल की भूमि के अधिग्रहण में विलंब ।

(iii) उपस्कर की सप्लाई में विलंब; और

(iv) टेस्टिंग स्टेज पर कुछ उपस्करों में दोष उत्पन्न होना ।

शेष जिला मुख्यालयों में एस०टी० डी० सुविधा प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है ।

परिवहन विधि में छूट

876 **डा० अबरार अहमद खान :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 तक परिवहन विधि में क्या क्या छूटें दी गई थीं और क्या 31 मार्च, 1990 के बाद सभी छूटें वापस ले ली गई हैं और क्या अब उन छूटों की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) क्या सरकार 31 मार्च, 1990 तक दी गई छूटों को नये परिवहन विधेयक के पुनः स्थापित किये जाने तक जारी रखने पर विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पूर्व में इन छूटों के देने के क्या कारण थे , और

(ग) क्या सरकार 15 प्रतिशत अतिभार की सुविधा को और आगे जारी नहीं रख सकती अथवा क्या सरकार उपभोक्ताओं के हित में लदान-क्षमता को 10 टन से बढ़ा कर 12 टन करने का विचार रखती है क्योंकि डीजल और बीमा, इस्पात इत्यादि के मूल्यों में वृद्धि के कारण परिवहन लागत में वृद्धि हुई है तथा 31 मार्च, तक 15% अतिभार की सुविधा वापस लिये जाने के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में दुगुना बोझ बढ़ा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) दिनांक 8-6-89 की अधिसूचना सं० का०आ० 414(ई) के उपबन्धों में संशोधन करके परिवहन वाहनों को, विनिर्दिष्ट अधिकतम सुरक्षित लदान भार से 15% अधिक भार ले जाने की अनुमति दी गई थी । दिनांक 30-8-1989 की अधिसूचना सं० का०आ० 680(ई०) द्वारा 31 मार्च, 1990 तक अस्थाई रूप से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी ताकि बीच की अवधि के दौरान भारी बाडियों को हल्की बाडियों में बदलने की सुविधा दी जा सके क्योंकि बताया गया था कि कुछेक किस्मों के वर्तमान वाहनों की भारी ढांचे वाली बाडियों से कारगर लदान क्षमता प्रभावित होती थी । दिनांक 30-8-89 की अधिसूचना 1-4-90 को समाप्त हो गई । 31-3-90 के बाद छूट की अनुमति नहीं है ।

Delisting French Classification Society for ships

877. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had delisted "Bureau Veritas" the French Classification Society for ships, following sinking/disappearance of Ships viz; MV Nityananak and MV Nityanand, in the Indian Ocean during 1984-85;

(b) whether it is also a fact that the present Government has revoked the said delisting order of the previous Government; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNNIKRISHNAN): (a) to (c) In the wake of the disappearance of m.v. 'Nitya Nanak' and m.v. 'Nitya Ram' in June 1985, in the Bay of Bengal, the authorisation of Bureau Veritas, a French Ship Classification Society, to survey and inspect Indian ships and issue International Load Line Certificates on behalf of the Government of India, was suspended w.e.f. 12.8.1987 for a period of one year, initially. This period of suspension